सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 272/2016

बउनवान

चतुर्भुज उम्र 75 वर्ष मुतबन्ना भैरूलाल गालव ब्राह्मण निवासी कोटडी तहसील छबडा

(अपीलांट)

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री रोडू जी जाति गालव ब्राह्मण निवासी कोटडी तहसी छबडा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नंबर 880 दि. 20.6.2016 वाके ग्राम कोटडी तहसील छबडा अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बालमुकन्द गुर्जर एडवोकेट **(अपीलांट)**
2– श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 28.1.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 880 दिनांक 20.6.2016 वाके ग्राम कोटडी तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के कब्जे काश्त व खाते की आराजियात खाता संख्या 49 की भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 103 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 306 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 306/449 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 345 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकता 25 बीघा 8 बिस्वा वाके माल कोटडी तहसील छबडा जिला बारॉ की स्थित चली आ रही है तथा इसी प्रकार अपीलांट के खाते मे खाता संख्या 48 की भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 8 बिस्वा मे 1/2 स्थित चली आ रही थी।

उपरोक्त वर्णित आराजियात अपीलांट को गोद पुत्र के रूप मे भैरूलाल से गोद पुत्र होने के नाते प्राप्त हुई थी। जिस पर बदस्तूर भैरूलाल के जीवन काल से ही काबिज काश्त व स्वामित्व मे चली आ रही है। अपीलांट के अन्य भाई हरिनारायण, बाबूलाल, रामशंकर भी अपीलांट के पास ग्राम कोटडी मे रहने लगे। अपीलांट के पास ग्राम कोटडी मे आये उस समय अपीलांट व अन्य तीनों भाई नाबालिग थे। जिनकी परवरिश व शादी के लिये अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष मे उक्त आराजियात का बिना कब्जा दिये 1/3 हिस्से दान पत्र तहरीर करवाया गया। जिससे बाबूलाल की शादी ब्याह हो सके। बाबूलाल व अन्य भाईयो की शादी ब्याह होने व बालिग होने के

बाद रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा दान पत्र के पश्चात पारिवारिक समझौता एवं सहमति से स्वेच्छा पूर्वक दान ग्रहिता बाबूलाल पुत्र श्री रोडू जी जाति ब्राह्मण निवासी कोटडी द्वारा आसोज सुदी एकम सम्वत् 2031 को उक्त किये गये दान पत्र का हकत्याग पुनः खातेदार अपीलांट चतुर्भुज के पक्ष मे निष्पादित कर एक तहरीर लिख दी गई थी। दान पत्र निष्पादन किये जाने व बाद मे सम्वत् 2031 से पूर्व गोद पुत्र के समय से ही अपीलांट का उक्त मद नं0 1 मे वर्णित आराजियात पर आज तक अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है।

अपीलांट के खाते की उक्त वर्णित आराजियात पर अगर दान पत्र निरस्त नही माना जाता तो सन 1965 से लेकर आज तक यानिकी इंतकाल खुलवाने की तारीख से पूर्व दान पत्र की पालना करवा लेता, लेकिन दान एक परिवारिक व्यवस्था थी, बाद मे स्वंय रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा तहरीर रूबरू गवाहान दान पत्र निरस्त होने के कारण इंतकाल नही खुलवाया गया और ना ही उक्त वर्णित आराजी पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का कब्जा काश्त रहा । अभी–अभी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के मन मे बदयांति व उक्त वर्णित आराजी की वैल्युवेशन होन जाने के कारण नियत मे खोट आ जाने के कारण अपीलांट का बैंक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड को फर्जी हस्ताक्षर करके स्वंय द्वारा चुकाया जाकर, उक्त वर्णित आराजियात को रहन मुक्त कराकर अवैधानिक रूप से दिनांक 20.6.2016 खाता संख्या 48 पर अवैधानिक रूप से राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत व मिथ्या कथन करते हुये इंतकाल 1/3 उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजियात पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा अमल मे लाया गया है। जो गलत है। अपीलांट को बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये बगैर व बिना अपीलांट को सूचित किये बगैर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा इंतकाल की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, जो कानूनन विधि विरूद्व होने से इंतकाल निरस्तनीय है। रेस्पो0 क्रम 2 द्वारा बिना किसी विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का सही अवलोकन नही किया जाकर न्याय के भौतिक सिद्वान्तो के विपरीत आदेश पारित करते हुये स्वीकार करने मे भारी कानूनी त्रुटि कायम की गयी है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

उक्त इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अभिलेख से यह भली प्रकार से प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल का सही ढंग से गौर नही किया गया है। मात्र रेस्पो0 क्रम 1 के आधार पर ही निर्णय कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जो न्याय के भौतिक सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी का पूर्ण अवसर नही दिया जाकर एकतरफा इंतकाल आदेश पारित किया गया है। उसी आदेश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर फरमाये रेस्पो0 क्रम 1 के नाम इंतकाल खोलने मे भारी कूननी त्रुटि कायम की गई है। जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट को आदेश/इंतकाल की सूचना किसान क्रेडिट ऋण बैंक मे दिनांक 30.7.2016 को जमा करवाये जाने पर हुई। उसके बाद अपीलांट द्वारा तहसीलदार छबडा से इंतकाल की नकल प्राप्त हुई। उक्त विलम्ब हुये समय को कंडोन किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है।

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व परिवार के मध्य उक्त गलत इंतकाल के कारण लडाई–झगडा होने की पूर्ण सम्भावना हो गई है। इसलिये अनावश्यक विवाद को खत्म करने के लिये ताफैसला अपील मौके की यथास्थिति कायम किया जाना भी न्यायहित मे अति आवश्यक है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश इंतकाल नं0 878 दि. 20.6.2016 जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.9.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया, जो प्राप्त हुआ। प्रकरण मे वकील अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 76/2016 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 27.9.2016 को खारिज किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

प्रकरण मे बहस के दौरान अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आराजियात अपीलांट को गोद पुत्र के रूप मे भैरूलाल से गोद पुत्र होने के नाते प्राप्त हुई थी। जिस पर बदस्तूर भैरूलाल के जीवन काल से ही काबिज काश्त व स्वामित्व मे चली आ रही है। अपीलांट के अन्य भाई हरिनारायण, बाबूलाल, रामशंकर भी अपीलांट के पास ग्राम कोटडी मे रहने लगे। अपीलांट के पास ग्राम कोटडी मे आये उस समय अपीलांट व अन्य तीनों भाई नाबालिग थे। जिनकी परवरिश व शादी के लिये अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष मे उक्त आराजियात का बिना कब्जा दिये 1/3 हिस्से दान पत्र तहरीर करवाया गया। जिससे बाबूलाल की शादी ब्याह हो सके। बाबूलाल व अन्य भाईयो की शादी ब्याह होने व बालिग होने के बाद रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा दान पत्र के पश्चात पारिवारिक समझौता एवं सहमति से स्वेच्छा पूर्वक दान ग्रहिता बाबूलाल पुत्र श्री रोडू जी जाति ब्राह्मण निवासी कोटडी द्वारा आसोज सुदी एकम सम्वत् 2031 को उक्त किये गये दान पत्र का हकत्याग पुनः खातेदार अपीलांट चतुर्भुज के पक्ष मे निष्पादित कर एक तहरीर लिख दी गई थी। दान पत्र निष्पादन किये जाने व बाद मे सम्वत् 2031 से पूर्व गोद पुत्र के समय से ही अपीलांट का उक्त मद नं0 1 मे वर्णित आराजियात पर आज तक अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है।

अपीलांट के खाते की उक्त वर्णित आराजियात पर अगर दान पत्र निरस्त नही माना जाता तो सन 1965 से लेकर आज तक यानिकी इंतकाल खुलवाने की तारीख से पूर्व दान पत्र की पालना करवा लेता, लेकिन दान एक परिवारिक व्यवस्था थी, बाद मे स्वंय रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा तहरीर रूबरू गवाहान दान पत्र निरस्त होने के कारण इंतकाल नही खुलवाया गया और ना ही उक्त वर्णित आराजी पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का कब्जा काश्त रहा । अभी–अभी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के मन मे बदयांति व उक्त वर्णित आराजी की वैल्युवेशन होन जाने के कारण नियत मे खोट आ जाने के कारण अपीलांट का बैंक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड को फर्जी हस्ताक्षर करके स्वंय द्वारा चुकाया जाकर, उक्त वर्णित आराजियात को रहन मुक्त कराकर अवैधानिक

रूप से दिनांक 20.6.2016 खाता संख्या 48 पर अवैधानिक रूप से राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत व मिथ्या कथन करते हुये इंतकाल 1/3 उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजियात पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा अमल मे लाया गया है। जो गलत है। अपीलांट को बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये बगैर व बिना अपीलांट को सूचित किये बगैर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा इंतकाल की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, जो कानूनन विधि विरूद्व होने से इंतकाल निरस्तनीय है। रेस्पो0 क्रम 2 द्वारा बिना किसी विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का सही अवलोकन नही किया जाकर न्याय के भौतिक सिद्वान्तो के विपरीत आदेश पारित करते हुये स्वीकार करने मे भारी कानूनी त्रुटि कायम की गयी है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपने पक्ष समर्थन मे रूलिंग DNJ (SC) 1997 Baby Ammal V/S Rajan 134, 135, 40,41,42,43 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा उक्त इंतकाल रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर खोला गया है। जिसमे किसी प्रकार को विधिक त्रुटि नही हुई है। अपीलांट के अभिभाषक यदि इस इंतकाल को निरस्त करवाना चाहते है तो पहले सिविल न्यायालय मे उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त करवाया जाना चाहिये। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पत्र समर्थन मे रूलिंग 2012 (1) R.R.T. 238 श्रवण बनाम मदनलाल एवं 2013 (5) WLC (Raj) 615 श्रीमती इन्दु बनाम नृसिंहदास एवं 2015 DNJ(S)1018 आदि प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा खोला गया इंतकाल यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 880 दिनांक 26.6.2016 रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर खोला गया है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रूलिंग इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। अपीलांट के अभिभाषक को उक्त इंतकाल निरस्त करवाये जाने हेतु उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र को सिविल न्यायालय मे चाराजोही कर प्रभाव शून्य करवाया जाना चाहिये। उक्त इंतकाल को हम वर्तमान मे निरस्त किया जाना न्यायोचित नही समझते हैं।

अतः अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 28.1.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां